मध्य प्रदेश में खनिज भंडार

2508. श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में चूना पत्थर, लौह अयस्क, बाक्साइट और मैग्नीज आदि के भंडार का बहुत बड़ा क्षेत्र भारत सरकार के उपक्रमों के लिए सुरक्षित रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार से संबंधित उपक्रमों ने उक्त क्षेत्रों को आरक्षित कराने हेतु अभी तक आवेदन पत्र नहीं दिये हैं; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार कोई आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त आरक्षित क्षेत्रों को अनारक्षित घोषित कर सकती है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) चूना-पत्थर, लौह-अयस्क, बाक्साइट तथा मैग्नीज जैसे खनिजों वाले आरक्षित क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्रमांक	नाम	क्षेत्र
1.	बाक्साइट	बालाघाट, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, रीवा, बस्तर, मांडला, बिलासपुर, शहडोल और सतना जिलों में निर्धारित क्षेत्र।
2.	लौह अयस्क	बस्तर तथा दुर्ग जिलों के निर्धारित क्षेत्र।
3.	चूनापत्थर	जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, मन्दसौर, सतना तथा दुर्ग जिलों के निर्धारित क्षेत्र।
4.	मैग्नीज	बालाघाट जिले के निर्धारित क्षेत्र।

(ग) चूंकि ये क्षेत्र पहले ही आरक्षित है, इसलिए संबंधित उपक्रमों द्वारा आरक्षण के लिए आवेदन पत्र देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को जिला-बालाघाट में 35 गांवों, जिला-छिंदवाड़ा में 3 गांवों, जिला-सतना में 182 गांवों, जिला-बिलासपुर में 67 गांवों में चूनापत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज वाले क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करने की सहमति दे दी है।

2509. *[Trans/erred to nth August. 1992.]*